

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/के-1337/2024/182

दिनांक : 27/03/2024

—: आदेश :—

डॉ० कृति चौधरी (जन्मतिथि 14.06.1999) चिकित्सा अधिकारी (प्रोबेशनर) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डा भिण्डा, जयपुर का स्वयं की प्रार्थना अनुसार दिनांक 21.04.2023 से 05.05.2023 तक 15 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परीविक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी ।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक : ई/चिअ/के-1337/2024/182

दिनांक : 27/03/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, जयपुर ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर ।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डा भिण्डा, जयपुर ।
4. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी राजपत्रित अनुभाग मुख्यालय ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को सम्बन्धित अधिकारियों को जरिय ई-मेल से भिजवाने हेतु
6. डॉ० कृति चौधरी (जन्मतिथि 14.06.1999) चिकित्सा अधिकारी (प्रोबेशनर) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डा भिण्डा जयपुर को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
7. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वा०),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर ।

RajKaj Ref
6310374

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :27-03-2024 10:46:46